श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री, राजस्थान
द्वारा
मार्च 5, 2003 को राजस्थान विधान सभा के समक्ष
प्रस्तुत
बजट भाषण
(2003–2004)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2002–03 के संशोधित बजट अनुमान एवं 2003–04 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. राज्य की जिस वित्तीय स्थिति में हमने लगभग 4 वर्ष पूर्व शासन की बागडोर संभाली थी वह अत्यन्त कठिन थी। उस समय की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति से राज्य की जनता को अवगत कराने की दृष्टि से हमारी सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया। जब हमने शासन संभाला था उस समय प्रमुख समस्या पूर्व सरकार के निर्णयों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले दायित्वों को निभाने के साथ–साथ भीषण अकाल का सामना करने की थी। दुर्भाग्यवश गत् चार वर्षों की अवधि में हमारे प्रदेश में अकाल की स्थिति रही है। वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद हमने अकाल की विभीषिका का डट कर मुकाबला किया तथा जनता व पशुधन की रक्षा की। परंपरागत दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हमने अकाल को भी विकास से जोड़ा। अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत हमने पक्के कार्य करवाने को प्राथमिकता दी जिससे राज्य में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। इन राहत कार्यों हेतु हमने अन्य स्रोतों से प्राप्त संसाधनों के अतिरिक्त नाबार्ड से भी 140 करोड़ 30 लाख रुपये का ऋण लिया। सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि वर्तमान अकाल पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक व्यापक एवं भीषण है। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि इस संकट से निपटने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केन्द्र सरकार से अपेक्षित नकद राशि प्राप्त नहीं होने की स्थिति में हम अपने बलबूते पर संसाधनों की व्यवस्था करेंगे चाहे इसके लिए हमें अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़े।

3. राज्य में वर्षा की लगातार कमी व अकाल की स्थिति रहने के परिणामस्वरूप हमारे सकल घरेलू उत्पाद पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद हमने हमारे कर राजस्व के संग्रहण में वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि में 13 प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि दर हासिल की। हमारा कर राजस्व, जो वर्ष 1998–99 में 3 हजार 939 करोड़ 34 लाख रुपये था, वर्ष 2001–02 में बढ़ कर 5 हजार 671 करोड़ 17 लाख रुपये हो गया। वर्ष 2002–2003 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का कर राजस्व 6 हजार 481 करोड़ 51 लाख रुपये होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।

4. जैसा कि माननीय सदस्यों को अवगत है, राज्यों की वित्तीय स्थिति डगमगाने का प्रमुख कारण पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना रहा है। हमारे राज्य में कर्मचारियों को वर्ष 1992 से 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जा रहे थे। इन चयनित वेतनमानों के कारण पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय भार और अधिक पड़ा। इसके साथ ही पेंशन भार में अत्यधिक वृद्धि हुई। वर्ष में दो बार मँहगाई भत्ते व मँहगाई राहत का भार भी सरकार पर आया। वर्ष 2003–04 में वेतन–भत्तों पर 6 हजार 40 करोड़ रुपये व्यय होना अनुमानित है जबकि वर्ष 1997–98 में इस मद में 3 हजार 395 करोड़ रुपये व्यय हुये थे। इसी प्रकार सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के पेंशन परिलाभों का व्यय वर्ष 1997–98 में 596 करोड़ रुपये था जिसकी तुलना में वर्ष 2003–04 में यह व्यय 1 हजार 913 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। हमारी सरकार द्वारा मितव्ययता बरतने व अनावश्यक व्यय में कमी करने पर

विशेष ध्यान दिया गया तथा रिक्त पदों को भरते समय उनकी वास्तविक उपादेयता को ध्यान में रखने के कारण हम व्यय में बढ़ोतरी सीमित रखने में सफल हुए हैं। वर्ष 1998–99 में पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान को छोड़कर हमारे गैर–आयोजना राजस्व व्यय में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, उसकी तुलना में वर्ष 2001–02 में यह वृद्धि इससे पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत से भी कम रही है।

5. हमें राज्य पर कर्जे एवं अन्य देनदारियों में बढ़ोतरी की समस्या का सामना करना पड़ा है। हमने जब शासन संभाला था उस समय राज्य पर 24 हजार करोड़ रुपयों से अधिक का कर्ज एवं अन्य देनदारियों का भार था। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, वर्ष 1998–99 से राजस्व व्यय में अत्यधिक बढ़ोतरी होने तथा उसके अनुपात में राजस्व आय में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण राजस्व घाटा अधिक होने लगा। इस घाटे की पूर्ति करने के साथ–साथ विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाया जाना भी आवश्यक था, जिसके लिए हमें ऋण आधारित संसाधनों का सहारा लेना पड़ा। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऋण भार की समस्या केवल राजस्थान की ही नहीं है, देश के सभी राज्य बढ़ते कर्ज से चिंतित हैं। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 1998 से अब तक देश के सभी राज्यों का कुल ऋण व देनदारियां बढ़ कर दो से तीन गुना हो गई हैं। 31 मार्च 2003 को राजस्थान का प्रति व्यक्ति कर्ज, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा से कम है। इसी अवधि में केन्द्र सरकार का प्रति व्यक्ति कर्ज हमारे राज्य की तुलना में लगभग दुगुना अनुमानित है।

6. जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000 से 2005 की अवधि के लिए केन्द्रीय करों के शुद्ध संग्रहण में राज्यों के हिस्से का निर्धारण किया जाकर, राज्यों को अंतरित किये जाने वाले केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि का भी अनुमान किया गया था। आयोग ने राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए वर्ष 2000–2001 व 2001–2002 में राज्य का आयोजना भिन्न राजस्व घाटा क्रमशः 955 करोड़ 26 लाख रुपये एवं 289 करोड़ 42 लाख रुपये माना था तथा राज्य को इसके बराबर की राशि का अनुदान देने की सिफारिश की जबकि हमारे अनुमानों के अनुसार यह घाटा कहीं अधिक था।

7. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2002–2003 की अवधि के लिए राज्य का केन्द्रीय करों में हिस्सा 10 हजार 430 करोड़ 44 लाख रुपये अनुमानित किया था जबकि केन्द्र सरकार से इस अवधि में केवल 8 हजार 782 करोड़ 7 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुमानों की तुलना में पहले तीन वर्षों में 1 हजार 648 करोड़ 37 लाख रुपये राज्य को कम मिले हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2002–2003 की अवधि में राज्य को देय कर राजस्व में हिस्सा राशि के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण कम हुआ है। इन तीन वर्षों में केन्द्र सरकार के 9 हजार 648 करोड़ 48 लाख रुपये के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण 8 हजार 782 करोड़ 7 लाख रुपये ही हुआ है। इस प्रकार केन्द्र सरकार के अनुमानों की तुलना में वास्तविक अंतरण में 866 करोड़ 41 लाख रुपये की कमी रही। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि आय के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए ही व्यय के अनुमान तैयार किये जाते हैं परन्तु वर्ष के अंत में कम राजस्व प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को इसकी पूर्ति ऋण लेकर ही करनी पड़ती है।

8. कर्जे में वृद्धि के परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान में बढ़ोतरी की समस्या का सभी राज्यों को सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार द्वारा "डेट–स्वेप" की योजना प्रस्तावित की गई है जिसके अंतर्गत 13 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर के पूर्व वर्षों के केन्द्र सरकार से मिले हुए ऋणों को वर्तमान कम ब्याज दर के अल्प बचत एवं बाजार के ऋणों से चुकाया जाना है। राज्य सरकार ने इस योजना पर अपनी सहमति दे दी है, जिससे ब्याज भुगतान के दायित्व में कुछ राहत मिलेगी। हम केन्द्र सरकार से यह भी मांग करते हैं कि पूर्व वर्षों के वर्तमान बाजार ब्याज दर से मंहगे

केन्द्रीय ऋणों एवं बाजार से लिये गये ऋणों के संबंध में भी ऐसी ही योजना बनाये ताकि ''डेट–स्वेप'' की योजना का राज्यों को पूरा लाभ मिल सके। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि बढ़ते ऋण भार व ब्याज भुगतान के दायित्वों की गंभीर समस्या का समाधान केन्द्र सरकार व सभी राज्य मिलकर ही कर सकते हैं।

9. कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राज्य के विकास को सर्वाधिक महत्त्व दिया। हमने हमारी प्राथमिकतायें इस दृष्टि से निर्धारित कीं कि जहां एक ओर आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत किया जा सके, वहीं समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण भी हो। राज्य के आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से हमने मानव संसाधन, ऊर्जा एवं सड़क विकास को सर्वाधिक महत्त्व दिया। इसी प्रकार सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों एवं निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण की दृष्टि से अनेक कार्य किये जिनमें पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए जिला मुख्यालय पर छात्रावासों का निर्माण, बेरोजगार व्यक्तियों को गुमटियों का आवंटन, प्रतिभावान छात्रों को राजकीय व्यय पर चयनित निजी स्कूलों में प्रवेश, गरीब विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान, पात्र व्यक्तियों को अभियान चलाकर वृद्धावस्था, विधवा एवं निःशक्त पेंशन स्वीकृत करना व कतिपय गंभीर रोगों के मंहगे और विशिष्ट इलाज के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।

10. हाल ही में योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक प्रगति के निर्धारित मानकों के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा की गयी प्रगति का अध्ययन किया गया है जिसे ''नेशनल ह्यूमन डवलपमेंट रिपोर्ट 2001'' के नाम से प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कम प्रगतिशील राज्यों के समूह, जिसमें बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सम्मिलित हैं, में राजस्थान ने सर्वाधिक प्रगति की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख 15 राज्यों की तुलनात्मक स्थिति में राजस्थान जो कि वर्ष 1991 में 11वें स्थान पर था, वर्ष 2001 में 9वें स्थान पर आ गया है।

11. मुझे विश्वास है कि वर्ष 2003–04 के बजट प्रस्तावों से जिसमें आधारभूत ढांचे के विकास के साथ–साथ सामाजिक सेवाओं के विकास व विस्तार पर बल दिया गया है, राज्य की प्रगति के निर्धारित मानकों में और सुधार होगा जिससे शीघ्र ही हम हमारे राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकेंगे।

बारहवां वित्त आयोग :

12. माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत होंगे कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 1 नवंबर 2002 को एक अधिसूचना जारी कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में बारहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के मध्य विभाजन योग्य करों की शुद्ध आय का वितरण, राज्यों के बीच ऐसी आय से संबंधित हिस्से का आवंटन एवं राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशियों का निर्धारण करेगा। हम वित्त आयोग के समक्ष राज्य की विषम वित्तीय स्थिति का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक सहायता राशि एवं करों में हिस्सा दिये जाने हेतु यथासमय अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वित्त आयोग के सम्मुख राज्य का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत करने के संबंध में वे अपने अमूल्य सुझाव हमें देंगे।

आर्थिक समीक्षा :

13. वर्ष 1993–94 की स्थिर कीमतों पर हमारे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2001–2002 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 57 हजार 379 करोड़ रुपये रहा है जो पूर्व वर्ष 2000–2001 की तुलना में 10.5 प्रतिशत अधिक है तथा यह पूर्व में लगाये गये 55 हजार 655 करोड़ रुपये के अग्रिम अनुमान से अधिक रहा है।

14. जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। वर्ष 2002 में राज्य के अधिकांश भागों में औसत से बहुत कम वर्षा हुई, जिसका कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993–94 की स्थिर कीमतों पर चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 53 हजार 232 करोड़ रुपये होने की संभावना है जो गत् वर्ष की तुलना में 7.2 प्रतिशत कम है। स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित कमी मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन में 29.6 प्रतिशत की गिरावट के कारण है, जबकि अन्य क्षेत्रों में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि होना अनुमानित है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2002–03 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 87 हजार 372 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि गत् वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत कम है।

वार्षिक योजना :

15. राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2003–04 के आकार के निर्धारण के लिए योजना आयोग से विचार–विमर्श शेष है। राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष की योजना का तदर्थ आकार 5 हजार 857 करोड़ 98 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। इस योजना की 36.9 प्रतिशत राशि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं हेतु, 28.4 प्रतिशत राशि विद्युत् हेतु, 10.8 प्रतिशत राशि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु, 9.1 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास हेतु तथा 8.6 प्रतिशत राशि परिवहन सेवाओं हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

सड़कें :

16. सड़कों का राज्य के विकास से सीधा संबंध है, इस दृष्टि से हमने सड़कों की स्थिति सुधारने को अत्यधिक महत्त्व दिया है। सड़क विकास हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना की 8 प्रतिशत राशि इस हेतु आवंटित की गई, जबकि नवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि मात्रा 4.8 प्रतिशत थी। दिसंबर 1998 से जनवरी 2003 तक राज्य में सड़कों के विकास पर 2 हजार 93 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। जिसमें चालू वर्ष में माह जनवरी तक 698 करोड़ 94 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिसंबर 1998 से जून 2002 तक 6 हजार 805 किलोमीटर लंबी डॉमर सड़कों का निर्माण किया गया जिससे 4 हजार 887 गाँवों को जोड़ा जा सका है, इनमें 1 हजार 201 पंचायत मुख्यालय सम्मिलित हैं। इसी दौरान 19 हजार 337 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। इसके साथ–साथ अकाल राहत कार्यों के तहत 32 हजार किलोमीटर ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 417 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत वर्ष 2001–2002 में देश में निर्मित सड़कों में से 69 प्रतिशत सड़कें राजस्थान में बनी। इस हेतु मैं विभाग के अभियंताओं को बधाई देना चाहता हूँ, जिनकी लगन व मेहनत से राजस्थान को यह गौरव प्राप्त हुआ है।

17. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि ''केन्द्रीय सड़क निधि योजना'' के अंतर्गत मैंने गत् वर्ष के बजट भाषण में राज्य के पर्यटन व धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण के कार्य प्रस्तावित किये थे। ऐसी सड़कों में से रींगस–खाटूश्यामजी, लक्ष्मणगढ़–सालासर, भीलवाड़ा–नाथद्वारा, पीपासर–मुकाम सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष सड़कों का कार्य प्रगति पर है जिसे इस वर्ष माह सितंबर तक पूरा कर लिया जायेगा। आगामी वर्ष इस योजना के अंतर्गत 76 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है जिसमें निम्न सड़कें शामिल हैं:–

1. जयपुर–डिग्गी–मालपुरा–केकड़ी–शाहपुरा–मांडलगढ़–भीलवाड़ा
2. भरतपुर–डीग–नगर–अलवर–बहरोड़
3. बून्दी–लाखेरी–इन्द्रगढ़–सवाईमाधोपुर–लालसोट

4. चित्तौड़गढ़–प्रतापगढ़–बांसवाड़ा
5. डूंगरपुर–सागवाड़ा–बांसवाड़ा–रतलाम (स्टेट बोर्डर)
6. डूंगरपुर–सीमलवाड़ा
7. बालोतरा–बायतू–बाड़मेर–गडरारोड
8. भरतपुर–रूपवास–सेंपऊ
9. गंगानगर–पदमपुर–रायसिंहनगर
10. उदयपुर–डबोक–मावली–भोपालसागर–कपासन–चित्तौड़गढ़
11. जयपुर–जोबनेर–पंचकोड़िया–लूणावा–नांवा–कुचामन–खाटू रोड़
12. जैसलमेर–सम–धनाना
13. भरतपुर–मथुरा
14. अलवर–शाहपुरा–कांवट–नीमकाथाना–खेतड़ी–सिंघाना
15. सिरोही–कालंदरी–रामसीन–जालोर–सीवाणा–बालोतरा–शेरगढ़

18. कुछ सड़क मार्गों के ''मिसिंग लिंक्स'' के रूप में लगभग 3 हजार 200 किलोमीटर की दूरियों को चिन्हित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राजस्थान सड़क उन्नयन परियोजना के अनुरूप इन ''मिसिंग लिंक्स'' को पूर्ण करने के उद्देश्य से इस योजना का कार्य भी हाथ में लिया जायेगा।

19. राज्य में सड़क–पुल निर्माण हेतु निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान सड़क अधिनियम 2002 लागू किया गया। इस अधिनियम से निजी निवेशकों की विभिन्न आशंकाओं का निराकरण हुआ है। इस पद्धति के तहत लागू की जाने वाली परियोजनाओं में निवेशकों की भूमिका स्पष्ट हो गई है। बी.ओ.टी. पद्धति के तहत राज्य में किये गये 143 करोड़ रुपये के निजी निवेश से 18 परियोजनायें पूरी की जा चुकी हैं तथा 83 करोड़ रुपये की चार परियोजनायें प्रगति पर हैं। साथ ही 1 हजार 425 करोड़ रुपयों की नई परियोजनायें तैयार की गई हैं।

ऊर्जा :

20. आगामी वर्ष की राज्य योजना में ऊर्जा क्षेत्र हेतु 1 हजार 146 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसकी विगत निम्नानुसार हैः–

1. उत्पादन मद में 240 करोड़ रुपये,
2. प्रसारण मद में 380 करोड़ रुपये,
3. उप–प्रसारण, वितरण प्रणाली में सुधार तथा एलटी लैस योजनाओं हेतु 400 करोड़ रुपये, एवं
4. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु 126 करोड़ रुपये।

21. इसके अतिरिक्त 14 करोड़ 7 लाख रुपये का निवेश राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम **(Rajasthan Renewable Energy Corporation)** के माध्यम से गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए प्रस्तावित है जिसमें से 25 गाँवों का ''स्टैण्ड अलोन सोलर फोटोवोल्टिक'' प्रणाली से विद्युतीकरण भी किया जायेगा।

22. उत्पादन मद में प्रस्तावित प्रावधान में से सूरतगढ़ तापीय विद्युत् गृह की तृतीय चरण की पाँचवीं इकाई हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इस इकाई से लक्ष्य से 6 माह पूर्व जून 2003 में विद्युत् उत्पादन प्रारंभ होना संभावित है। कोटा तापीय विद्युत् गृह की छठी इकाई हेतु 38 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। इस इकाई से अगस्त 2003 में विद्युत् उत्पादन प्रारंभ होना संभावित है। बाड़मेर जिले के गिराल में

लिग्नाईट पर आधारित विद्युत् परियोजना के प्रथम चरण हेतु 75 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना प्रस्तावित है।

23. विद्युत् छीजत में कमी लाने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इस हेतु आगामी वर्ष विभिन्न क्षमताओं की 2 हजार 301 किलोमीटर लंबी लाइनें डालना एवं 400 किलोवॉट के दो, 220 किलोवॉट के तीन, 132 किलोवाट के अट्ठारह एवं 33 किलोवॉट के 120 नये ग्रिड सब–स्टेशन बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

24. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 500 गाँवों तथा 150 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को 15 हजार कुटीर ज्योति कनेक्शन जारी किये जाने भी प्रस्तावित हैं।

सिंचाई :

25. वर्ष 2003–04 में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए 417 करोड़ 46 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। इस राशि में से बीसलपुर परियोजना पर 65 करोड़ रुपये, नर्बदा परियोजना पर 50 करोड़ रुपये, रतनपुरा वितरिका निर्माण कार्यों पर 9 करोड़ रुपये, छापी परियोजना पर 12 करोड़ रुपये, माही परियोजना पर 24 करोड़ रुपये एवं गंगनहर आधुनिकीकरण योजना पर 49 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। आगामी वर्ष में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 29 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी।

26. विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ''राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना'' प्रारंभ कर दी गई है जिसके माध्यम से कृषकों की सहभागिता से प्रदेश के 24 जिलों के 6 लाख 19 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में कुशल जल प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। यह परियोजना ''कृषकों के साथ'', ''कृषकों के द्वारा'' एवं ''कृषकों के लिए'' के सिद्धांत पर आधारित है। सिंचाई, कृषि, भू–जल एवं पर्यावरण विभागों के समन्वय से इस परियोजना को आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता समितियों का गठन कर इन्हें ''सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम'' के तहत उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। परियोजना के अंतर्गत लगभग 1 हजार 300 किलोमीटर लंबी नहरों का सुदृढ़ीकरण का कार्य करना प्रस्तावित है। इससे संबंधित निविदाएं आमंत्रित कर लगभग 40 सिंचाई नहर प्रणालियों के कार्यों का आवंटन कर दिया गया है एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 16 बांधों का सुरक्षा के आधार पर जीर्णोद्धार कार्य भी निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है। शेष कार्यों का निष्पादन भी चरणबद्ध तरीके से माह जुलाई 2003 तक प्रारंभ कर दिया जायेगा। आगामी वर्ष इस परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

इंदिरा गांधी नहर :

27. माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य की मरुगंगा एव प्रदेश की जीवन रेखा है। इस परियोजना के लिये अगले वर्ष की योजना में 177 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 210 किलोमीटर लंबी पक्की नहरों का निर्माण संभव होगा जिससे 36 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी।

सिंचित क्षेत्र विकास :

28. इंदिरा गांधी नगर परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों हेतु आगामी वर्ष 63 करोड़ 59 लाख रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। 47 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।

29. चंबल परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों हेतु आगामी वर्ष में 6 करोड़ 32 लाख रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं जिससे 2 हजार 500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि विकास के कार्य करायें जायेंगे।

पेयजल :

30. राज्य में पेयजल की समस्या का दीर्घकालीन समाधान आवश्यक है। वर्षा के जल का पेयजल के लिए उपयोग करने की कई योजनायें हाथ में ली गई हैं। इनमें इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट केनाल के जरिये तथा बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने तथा परपंरागत कृत्रिम भू–जल पुनर्भरण तथा कुओं–बावड़ियों का पुनरुद्धार संबंधी योजनायें प्रमुख हैं।

31. भू–जल में निरंतर कमी, जल की गुणवत्ता में ह्रास व पानी का स्तर नीचे जाने से 237 ब्लॉकों में से मात्र 49 ब्लॉक ही सुरक्षित रहे हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा भू–जल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए सतही जल स्रोतों पर आधारित 3 हजार 536 करोड़ 90 लाख रुपये की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

32. इन योजनाओं में 94 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत की राजीव गांधी लिफ्ट केनाल परियोजना फेज **II** का कार्य शुरू किया जा चुका है। आगामी वर्ष इस योजना पर 42 करोड़ रुपयों का व्यय किया जायेगा।

33. जयपुर शहर में पेयजल की कमी की पूर्ति के लिए बीसलपुर बांध से जलप्रदाय की योजना के 690 करोड़ रुपयों की लागत के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस परियोजना हेतु 480 करोड़ रुपये एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित 6 संभागीय मुख्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के विकास की परियोजना से प्राप्त होंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष में 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

34. जयपुर, टौंक तथा नागौर जिलों के 693 गाँवों एवं 7 कस्बों में व्याप्त फ्लोराइड की समस्या के निराकरण के लिये 216 करोड़ 55 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। आगामी वर्ष इस योजना पर 53 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

35. सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में खारे पानी की समस्या के निराकरण के लिये 240 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत की योजना स्वीकृत की गई है। इससे इन जिलों के 1 हजार 67 गाँवों व 3 कस्बों के नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा। आगामी वर्ष इस योजना पर 65 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय होंगे।

36. राजसमंद जिले के 206 गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 128 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत की बाघेरी का नाका जल योजना स्वीकृत की गई है, जिस पर आगामी वर्ष में 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

37. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल हेतु चालू वर्ष के 1 हजार 477 करोड़ 83 लाख रुपयों के प्रावधान की तुलना में वर्ष 2003–04 में 1 हजार 611 करोड़ 49 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

38. सूचना प्रौद्योगिकी हेतु आगामी वर्ष 11 करोड़ 92 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
39. प्रशासन में नई संचार तकनीक का उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से सभी जिलों को हॉटलाइन से जोड़ दिया गया है तथा समस्त संभागीय मुख्यालयों के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है जिससे दूरस्थ स्थानों पर प्रशासन की पकड़ मजबूत होगी। सचिवालय परिसर में स्थित सभी विभागों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ना प्रस्तावित है।

उद्योग :

40. पूरे देश में आर्थिक मंदी की स्थिति को देखते हुए अपने सीमित वित्तीय स्रोतों के बावजूद राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है।

41. राज्य में बड़े उद्योगों की तुलना में लघु एवं कुटीर उद्योगों के सफल होने की अधिक संभावना है। लघु व कुटीर उद्योगों के उत्पादों की बिक्री में बिचौलियों की भूमिका सीमित करने की दृष्टि से जयपुर व जोधपुर में ॲरबन हॉट बाजार की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है जिससे लघु व कुटीर उद्यमियों तथा दस्तकारों के उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय संभव हो सकेगा।

42. रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा अधिगृहीत इकाइयों के बेचान की गति को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2002–03 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि बिक्री से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत वित्तीय संस्थान स्वयं रखेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि में से अन्य विभागों की देनदारियाँ आनुपातिक रूप से बांटी जायेंगी तथा क्रेता द्वारा खरीदी गई औद्योगिक इकाई सभी प्रकार की देनदारियों से मुक्त होगी। इस निर्णय के सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। उद्योग जगत में मंदी के बावजूद इस निर्णय के परिणामस्वरूप अप्रेल 2002 से जनवरी 2003 की अवधि में रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा 251 इकाइयाँ बेची गईं, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 184 इकाइयाँ बेची जा सकी थीं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन बेची गई इकाइयों में से 247 इकाइयों ने अपना उत्पादन पुनः प्रारंभ कर दिया है जिनमें लगभग 2 हजार 500 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

43. आगामी वर्ष में कोटा में 10 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से तथा जोधपुर में 13 करोड़ 67 लाख रुपये की लागत से ''एग्रो फूड पार्क'' स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

खनन :

44. राज्य में खनिजों के विपुल भण्डार उपलब्ध हैं। राज्य में कच्चे तेल की खोज से खनन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा है। गुढ़ामलानी एवं कोसलू क्षेत्रों में खोदे गये दो कुओं में से प्रत्येक कूए से 2 हजार बैरल प्रतिदिन से अधिक के उच्च कोटि के कच्चे तेल की आवक क्षमता प्रमाणित हुयी है। इसके साथ–साथ ग्राम नगर, जिला बाड़मेर के निकट खोदे गये कूए से अच्छी किस्म के 155 मिलियन बैरल कच्चे तेल के भण्डारों का आकलन किया गया है। इसी कूए से प्रतिदिन 9.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की आवक क्षमता का आकलन भी किया गया है। तेल एवं गैस के ये भण्डार तुलनात्मक दृष्टि से काफी कम गहराई पर पाये जाने के कारण इनका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में होने का अनुमान है। अगले छः

महीनों में कुछ और कूए खोदे जाने का कार्यक्रम भी है। श्रीगंगानगर जिले में भी अच्छे किस्म के कच्चे तेल का पता लगाया गया है। हमें आशा है कि इन कुओं से तेल व गैस का उत्पादन शीघ्र प्रारंभ होगा जिससे राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा व राजस्व में भी समुचित वृद्धि हो सकेगी।

45. बीकानेर तथा गिराल,जिला बाड़मेर में उपलब्ध विशाल लिग्नाइट भण्डारों पर आधारित विद्युत् उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, राजस्थान विद्युत् उत्पादन निगम एवं मरुधर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड ने रुचि दिखाई है। इन परियोजनाओं में बाहर से कोयला लाने के स्थान पर राज्य में उपलब्ध लिग्नाइट से तापीय विद्युत् ऊर्जा उत्पादित हो सकेगी।

कृषि :

46. कृषि संबद्ध विभिन्न गतिविधियों के लिये आगामी वर्ष में कुल 408 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

47. आगामी वर्ष में 190 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। अन्य फसलों के अलावा 114 लाख टन खाद्यान्न तथा 37 लाख टन तिलहन का उत्पादन होने की आशा है। इस हेतु किसानों को आगामी वर्ष में लगभग 7 लाख टन प्रमाणित व उन्नत बीज तथा 8 लाख टन रासायनिक खाद उपलब्ध करायी जायेगी।

48. राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत राज्य के किसान व खेतिहर मजदूर को, कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय अथवा घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे 15 हजार रुपये तक अथवा मृत्यु होने पर उसके परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता राशि देय है। गत् चार वर्षों से लागू इस योजना में अब तक 4 हजार 475 व्यक्तियों को 7 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। समय के साथ–साथ इस योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

49. पिछले 4 वर्षों में 423 करोड़ 27 लाख रुपये व्यय किये जाकर 6 लाख 98 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भू–संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये। आगामी वर्ष में जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण कार्यक्रमों के लिए 56 करोड़ 3 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त 70 करोड़ 80 लाख रुपयों से जल ग्रहण व भू–संरक्षण कार्य भी करवाये जायेंगे।

50. उद्यानिकी विकास के लिये आगामी वर्ष में 8 करोड़ 92 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। विभिन्न योजनाओं के तहत मसाले, फल एवं औषधीय फसलों की तकनीकी खेती आदि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। पुष्प एवं मशरूम उत्पादन, सीमित जल संसाधन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि में प्लास्टिक का उपयोग करने तथा ड्रिप संयंत्र लगाने आदि के कार्य संपादित किये जायेंगे।

सहकारिता :

51. हमारे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में किसान को समय पर आवश्यक फसली ऋण उपलब्ध कराने, अच्छी किस्म की खाद–उन्नत बीज व प्रभावशील कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने एवं कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहकारी संस्थाओं का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है।

52. फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु चालू वर्ष के 1 हजार 200 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2003–04 में 1 हजार 400 करोड़ रुपये के फसली ऋण के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके

अतिरिक्त भूमि विकास बैंकों के माध्यम से अगले वर्ष 290 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

डेयरी विकास :

53. राजस्थान राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के क्षेत्र में विख्यात "अमूल" पद्धति पर चलाया जा रहा है। अनवरत् अकाल की परिस्थिति में दुग्ध उत्पादन ने ग्रामीण जनता को आर्थिक संबल प्रदान किया है। विगत् चार वर्षों में दुग्ध संकलन में 70 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। दुग्ध संकलन के क्रय मूल्य के रूप में 1 करोड़ 40 लाख रुपये प्रतिदिन का भुगतान कर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया गया है। डेयरी फैडरेशन ने पशुपालकों को अनुदानित दरों पर पशु आहार व चारा उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था भी की है। गत् दो वर्षों से दुग्ध संकलन एवं विपणन में हमारा राज्य उत्तरी भारत के राज्यों में लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। दूध की बढ़ती आवक को देखते हुए दुग्ध संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

वन :

54. आगामी वर्ष में वनों के विकास एवं मृदा संरक्षण हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित एवं राज्य योजना मद में 118 करोड़ 46 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

55. बनास नदी एवं नदी घाटी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्रों में जल एवं भू–संरक्षण कार्यों हेतु आगामी वर्ष में 19 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

56. जापान सरकार के सहयोग से आगामी वर्ष में "राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता" परियोजना को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 72 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज :

57. राजस्थान की तीन चौथाई आबादी अभी भी गाँवों में रहती है। अतः हमारी ग्रामीण जनता की उन्नति ही राज्य के विकास का पर्याय है। हमने अपने घोषणा–पत्र में भी कहा था कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाया जायेगा। स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताएं निश्चित की जा सकें तथा इनकी प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो सके इस दृष्टि से हमारी सरकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। ग्रामीण विकास से सीधे जुड़े हुये विभागों, कर्मचारियों एवं योजनाओं का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जा रहा है तथा उनसे संबंधित बजट भी स्थानांतरित किया जा रहा है।

58. चालू वर्ष में जनवरी 2003 तक ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के अंशदान सहित कुल 494 करोड़ 91 लाख रुपये की तुलना में 519 करोड़ 8 लाख रुपयों का व्यय किया गया है जो प्राप्त राशि का 104 प्रतिशत से अधिक है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में अब तक 266 लाख मानव दिवसों का रोजगार संभव हो सका है। आगामी वर्ष में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर 536 करोड़ रुपये व्यय किये जाना अनुमानित है।

59. आगामी वर्ष में इंदिरा आवास योजना; प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 22 हजार नये आवासों के निर्माण एवं 10 हजार कच्चे व अर्द्ध निर्मित आवासों को क्रमोन्नत करने पर 45 करोड़ 5 लाख रुपयों का व्यय किया जायेगा।

60. चार वर्ष के लगातार अकाल के कारण उत्पन्न कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारा राज्य उन चंद अग्रणी राज्यों में है जहां छोटे बच्चों को विद्यालय में दोपहर के भोजन के रूप में ''घूघरी'' खिलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत् 60 हजार विद्यालयों के 70 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही इससे 60 हजार महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सुलभ हो सका है। अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोपहर के भोजन की यह व्यवस्था आगामी ग्रीष्म अवकाश में भी जारी रखी जाएगी। आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

61. स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चयनित व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाती है जिसके लिए आगामी वर्ष में 40 करोड़ रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

62. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राज्य के पाँच जिलों अलवर, जयपुर, बाड़मेर, सीकर व झालावाड़ हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 17 करोड़ 19 लाख रुपये संबंधित जिला परिषदों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। बूंदी, कोटा, अजमेर व राजसमंद जिलों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है।

63. द्वितीय राज्य वित्त आयोग एवं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आगामी वर्ष क्रमशः 116 करोड़ 21 लाख एवं 98 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा :

64. राज्य में शिक्षा के त्वरित विस्तार की मंशा से ग्राम पंचायत स्तर पर 4 वर्ष पूर्व राजीव गांधी स्वर्ण जयंति पाठशालायें खोलने का निर्णय लिया गया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक–एक महिला शिक्षा सहयोगी लगाने का निर्णय लिया जाकर 8 हजार से अधिक महिला शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति की गई है।

65. वर्ष 6 से 14 की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ''सर्व शिक्षा अभियान'' कार्यक्रम इसी वर्ष से प्रारंभ किया गया है। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु 174 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। आगामी वर्ष में इस योजना पर 300 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

66. ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत भवन विहीन 678 विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना पर कुल 28 करोड़ रुपये व्यय होंगे। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु चलाई जा रही शिक्षाकर्मी तथा लोक जुम्बिश योजनाओं एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु आगामी वर्ष में 69 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

67. बांसवाड़ा जिले में मूक एवं बधिर विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष के बजट में 1 करोड़ 73 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

68. ''जन–सहभागीय विद्यालय भवन निर्माण योजना'' के अंतर्गत 70 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 30 प्रतिशत राशि जन–सहयोग अथवा छात्रनिधि कोष से उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष में

इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवनों के रख–रखाव एवं अतिरिक्त निर्माण के लिए आगामी वर्ष में 3 करोड़ 5 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। आगामी वर्ष में 8 हजार 415 प्राथमिक एवं 2 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर व अन्य सामग्री हेतु 9 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। एक हजार माध्यमिक एवं एक हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नया फर्नीचर तथा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष में 15 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों में फर्नीचर एवं उपकरण हेतु 1 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

69. आगामी वर्ष प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 3 हजार 745 करोड़ रुपयों का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा :

70. उच्च शिक्षा पर आगामी वर्ष में 242 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

71. कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं के पद रिक्त होने के कारण शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलाने में महसूस की जा रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में व्याख्याताओं के 300 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा रही है।

72. अगले वित्तीय वर्ष से राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति–जनजाति की छात्राओं, जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं हैं, को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु ''पुस्तक बैंक योजना'' प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के लिये आगामी वर्ष में 5 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

73. आगामी वर्ष में तकनीकी शिक्षा हेतु 63 करोड़ 35 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।
पर्यटन :

74. हमारे राज्य की अर्थव्यस्था कृषि, पशुपालन, खनिज आधारित उद्योगों के साथ–साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत, महलों, किलों एवं प्रकृति की विविधता पर आधारित पर्यटन उद्योग पर निर्भर है। विभिन्न स्थानों पर समय–समय पर आयोजित मेलों, त्यौंहारों एवं हमारे प्रदेश की बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत ने देश–विदेश के पर्यटकों को सदैव आकर्षित किया है। इन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विकास की असीमित संभावनाओं को विकसित करने हेतु हमने अनेक कदम उठाये हैं।

75. पर्यटकों की यात्रा एवं प्रवास को सुरक्षित, आरामदेह एवं स्मरणीय बनाने हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था, पर्यटक स्थलों को प्रमुख शहरों से अच्छी सड़कों से जोड़ने, ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करने एवं आवागमन के सुगम साधन उपलब्ध कराने पर हमने बल दिया है। हमारी सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु अधिकाधिक राशि आवंटित की गई है। अनेक नए स्थलों, जिनकी पर्यटन हेतु विपुल संभावनायें हैं, को विकसित किया जा रहा है।

76. पर्यटकों को महत्त्वपूर्ण किलों एवं स्मारकों की सायंकाल एवं रात्रि में भव्यता का आभास कराने के लिए फ्लड लाइट की व्यवस्था की गई है। पर्यटन विकास में निजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनेक प्रकार की सुविधायें व छूट प्रदान की गई हैं। मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजनान्तर्गत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे गोगुन्दा, हल्दीघाटी व चावंड का पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जा

रहा है। विगत् चार वर्षों में विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास पर राज्य में 10 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की गई है। पर्यटन विकास हेतु आगामी वर्ष में 13 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद :

77. आगामी वर्ष चिकित्सा, परिवार कल्याण एवं आयुर्वेद सेवाओं पर 1 हजार 128 करोड़ 43 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

78. कतिपय गंभीर व असाध्य रोगों के उपचार हेतु अजमेर, बीकानेर तथा जोधपुर में समुचित नई चिकित्सा सुविधायें विकसित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष में चिकित्सा महाविद्यालयों व संबद्ध चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आगामी वर्ष में अजमेर में नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियक–थोरेसिक सर्जरी तथा गेस्ट्रो–एन्ट्रोलॉजी हेतु 53 लाख रुपये, बीकानेर में नेफ्रोलॉजी व कार्डियो–थोरेसिक सर्जरी हेतु 28 लाख रुपये तथा जोधपुर में कार्डियो–थोरेसिक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी एवं कैथ–लैब संबंधी उपकरणों हेतु 3 करोड़ 42 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

79. राज्य के विभिन्न बड़े चिकित्सालयों के लिए रोगी वाहन की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए 20 नये वाहन खरीदने हेतु आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 50 एक्स–रे मशीनें खरीदने हेतु 1 करोड़ 70 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है।

80. राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ 79 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी प्रकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय,जयपुर में गहन चिकित्सा इकाई तथा न्यूरो सर्जरी वार्ड के विकास हेतु 85 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

81. 13 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु 1 करोड़ 87 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। ब्यावर, अलवर तथा सीकर स्थित राजकीय चिकित्सालयों में ''बर्न इकाइयां'' स्थापित करने हेतु आगामी वर्ष में 28 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में कोटपूतली, नाथद्वारा एवं किशनगढ़ में रक्त बैंक स्थापित करने के लिए 31 लाख रुपये, महिलाबाग चिकित्सालय जोधपुर को सेटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु 48 लाख रुपये तथा कोटा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर व उदयपुर स्थित मेडीकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में कतिपय सेवाओं के विस्तार के लिए 19 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है।

82. जयपुर में नवस्थापित राजकीय डेंटल कॉलेज हेतु आगामी वर्ष में उपकरणों की खरीद के लिए 47 लाख रुपये तथा सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर के हॉस्टल के विस्तार के लिए 45 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

83. आगामी वर्ष में राज्य के 10 जिला चिकित्सालयों में क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 21 करोड़ 96 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

84. परिवार कल्याण की ''जनमंगल योजना'' के लिए आगामी वर्ष में 4 करोड़ 85 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है। राजीव गांधी जनसंख्या मिशन के निर्देशानुसार राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने तथा जनसंख्या में वृद्धि नियंत्रण के कार्यक्रमों के लिए आगामी वर्ष में 5 करोड़ 43 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास :

85. आगामी वर्ष में नगरीय निकायों को ''कोर'' सेवाओं के विकास हेतु 19 करोड़ 88 लाख रुपये, अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु 9 करोड़ 80 लाख रुपये एवं ''स्लम इम्प्रूवमेंट'' हेतु 16 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुरूप 33 करोड़ 76 लाख रुपये और चुंगी पुनर्भरण अनुदान के रूप में 427 करोड़ 77 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

86. राज्य के 6 संभागीय शहरों व पुष्कर की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक की मदद से परियोजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 956 करोड़ रुपये की निविदाएं आमंत्रित की जाकर 554 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। वर्ष 2003–2004 में इस परियोजना पर 413 करोड़ रुपये की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

87. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में जयपुर शहर के अतिरिक्त 6 नगरपालिका क्षेत्र व 347 गाँव भी शामिल हैं। प्राधिकरण की योजनाएं जयपुर शहर के साथ–साथ समूचे कार्यक्षेत्र में फैली हुई हैं। प्राधिकरण ने विगत् चार वर्षों में जयपुर के शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त गाँवों व कस्बों के विकास कार्यों पर 47 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के एवं अन्य कार्यों पर आगामी वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण की 350 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है। इसमें से 100 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर व्यय होंगे।

88. राज्य के विभिन्न नगर सुधार न्यासों द्वारा पिछले चार वर्षों में आम जनता की सुविधाओं से जुड़े अनेक विकास के एवं अन्य कार्य करवाये गये जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई। आगामी वित्तीय वर्ष में विभिन्न न्यासों द्वारा इन कार्यों पर 240 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय करने की योजना है।

89. राज्य सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2003 को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है जिससे सफाई कर्मियों की विभिन्न समस्याओं का प्रभावी निराकरण संभव हो सकेगा। जनवरी 2003 में ऐसी 92 नगरपालिकाओं को 4 हजार 200 सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की अनुमति दी गई है जो इसका खर्चा वहन करने में सक्षम है।

समाज कल्याण :

90. समाज कल्याण पर आगामी वर्ष में 316 करोड़ 70 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

91. हमारी सरकार ने समाज के वंचित वर्गों एवं निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को उच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। राजकीय छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु आगामी वर्ष में 7 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

92. राजस्थान अनुसूचित जाति–जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए ऋण उगाहने हेतु 12 करोड़ रुपये की वर्तमान प्रतिभूति को बढ़ा कर 15 करोड़ रुपये एवं निःशक्त जन आयोग की वर्तमान प्रतिभूति राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाएगा।

93. वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक सत्र 2002–03 से जर्मन सरकार के सहयोग से शुरू किये गये 3 आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थी क्षमता 120 से बढ़ाकर 200 विद्यार्थी प्रति विद्यालय किया जाना

प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में नये आवासीय विद्यालयों के लिए फर्नीचर व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 3 करोड़ 54 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

94. विकलांग दम्पत्ति को उनके विवाह पर दी जाने वाली 5 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार विकलांग दिवस पर दी जाने वाली पुरस्कार राशि को भी दुगुना किया जाना प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास :

95. जैसा कि हमने अपने घोषणा–पत्र में व्यक्त किया था, महिला सशक्तीकरण को हमारी सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है। हमारे शासनकाल में महिला नीति जारी की गई, महिला रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया, सरकारी सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया गया एवं महिला आयोग का गठन किया गया।

96. माननीय सदस्य मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि लगातार पड़ रहे अकाल का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव गरीब बच्चों एवं महिलाओं पर पड़ा है। इन्हें कुपोषण से बचाने के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के पूर्व निर्धारित 35 लाख बच्चों एवं महिलाओं के लक्ष्य के साथ–साथ अतिसंवेदनशील बाल विकास परियोजनाओं के 10 हजार 939 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 6 वर्ष तक की आयु के 80 बच्चों की सीमा हटाकर सभी बच्चों तथा 20 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्थान पर सभी ऐसी महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आगामी वर्ष राज्य योजनान्तर्गत 54 करोड़ 96 लाख रुपये एवं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत 53 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

97. ''केयर'' एवं ''विश्व खाद्य कार्यक्रम'' के अंतर्गत 111 बाल विकास परियोजनाओं हेतु निःशुल्क पोषाहार की आपूर्ति हो रही थी। इन परियोजनाओं हेतु निःशुल्क पोषाहार मिलना बंद हो जाने पर हमने केन्द्र सरकार से आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। केन्द्र सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता प्रकट करने पर राज्य सरकार अपने संसाधनों से अबोध बच्चों व कमजोर महिलाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध करा रही है।

98. महिला एवं बाल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर आगामी वर्ष में 255 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

99. जनजाति के व्यक्तियों को कृषि, सिंचाई तथा विद्युत् सुविधायें उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त उनके शैक्षणिक तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से जनजाति उपयोजना, माडा, माडा कलस्टर, बिखरी आबादी कार्यक्रम तथा सहरिया विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। पिछले चार वर्षों में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 5 करोड़ 45 लाख रुपये, सिंचाई सुविधाओं के विकास पर 27 करोड़ रुपये, विद्युत् सुविधाओं पर 4 करोड़ रुपये तथा सामाजिक व सामुदायिक तथा अन्य सामान्य सेवाओं पर 119 करोड़ 40 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

100. जनजाति कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 51 लाख रुपये की लागत से 5 सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का निर्माण तथा 1 करोड़ रुपयों की लागत से 2 हजार 486 कृषि कुओं को गहरा कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 3 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से एनिकटों/वाटर शेडों/वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चरों का निर्माण करवाया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही 500 से अधिक डीज़ल अथवा विद्युत् पंपसैट क्रय करने के लिए 52 लाख रुपयों का अनुदान देना प्रस्तावित है।

101. आगामी वर्ष में 39 लाख रुपये की लागत से 1 हजार 800 जनजाति परिवारों के घरों को सौर ऊर्जा से विद्युतिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

102. जनजाति के युवक–युवतियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जनजाति परिवारों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु आगामी वर्ष 95 लाख रुपये का हिस्सा पूंजी अनुदान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

103. जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु आगामी वर्ष 13 आश्रम छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे जिनसे 650 छात्र–छात्रायें लाभान्वित हो सकेंगे।
अब मैं जनहित के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ :

104. बढ़ती जनसंख्या व आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की समस्या समूचे देश में व्याप्त है तथा राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है। राज्य के बी.पी.एल. परिवार इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अतः राज्य सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों के पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों को मासिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बी.पी.एल. परिवार, जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 12 हजार रुपये से अधिक नहीं हो, के उच्च माध्यमिक स्तर के योग्यताधारी बेरोजगार एक सदस्य को, जो तीन वर्ष या अधिक समय से रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, 300 रुपये प्रतिमाह की दर से दो वर्ष की अवधि अथवा रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिये मासिक सहायता राशि देय होगी। इस योजना के विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

105. यदा–कदा राज्य के प्राचीन मंदिरों–देवालयों के रूप में हमारी धरोहर के जर्जर होने का विवरण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होता है। इनमें से कई देवालयों में यथोचित पूजा अर्चना व भोग के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे देवालयों के रख–रखाव, पूजा अर्चना व भोग के लिए आगामी वर्ष में एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

106. वर्तमान अकाल की परिस्थितियों में हमारे गोधन की जीवन रक्षा करने के लिए गौ–सेवा आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगामी वर्ष में गौ–सेवा आयोग को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

107. आगामी वर्ष में मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण व कम्प्यूटर शिक्षा देने तथा वक्फ सम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु 50 लाख रुपयों की अतिरिक्त राशि राज्य मदरसा बोर्ड एवं वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

108. राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु वर्तमान में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन 30 प्रतिशत आरक्षित पदों में से 5 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं से भरे जाएंगे। उपयुक्त प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पूरे 30 प्रतिशत पद अन्य महिलाओं से भरे जाएंगे। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

109. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावासों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से गैर–सरकारी अथवा अन्य संगठनों द्वारा एक सौ नये छात्रावास स्थापित व संचालित करने के लिए राज्य कोष से अनुदान दिया जाएगा। न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करने पर इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। ऐसे छात्रावास के संचालक को भवन

उपलब्ध कराने, छात्रों के लिए बिस्तर व बरतन आदि की सुविधा जुटाने के लिए 1 लाख रुपये तक की एक मुश्त राशि एवं 500 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से अनुदान देय होगा।

110. कतिपय दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय डिस्पेंसरियों में यदा–कदा चिकित्सकों के पद रिक्त रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में रहने वालों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को विशेष परिस्थितियों में निकट के स्थान से योग्य निजी चिकित्सक की आवश्यकतानुसार सेवायें लेने के लिए 300 रुपये प्रतिदिन परन्तु एक माह में अधिकतम 2 हजार रुपये तक व्यय करने के लिए अधिकृत किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

111. वृद्ध आश्रमों, अनाथालयों, मूक–बधिर व निःशक्त जनों की संस्थाओं एवं कुष्ठ आश्रमों को वाणिज्यिक के स्थान पर घरेलू दरों पर ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। दरों के अंतर की राशि का विद्युत् कंपनियों को पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

112. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है ''मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष'' के जरिये असाध्य व गंभीर रोग से पीड़ित निर्धन, असहाय नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस प्रकार यह कोष राजस्थान में उनके जीवन की रक्षा का आधार बन गया है। आगामी वर्ष में राज्य सरकार केंसर से पीड़ित गरीब रोगियों को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस कोष में एक करोड़ रुपयों का अतिरिक्त अंशदान उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में धन की कमी नहीं होने दी जायेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जायेगा।

113. आगामी वर्ष में खेलों व युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल परिषद को एक करोड़ रुपयों की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

114. अल्प वेतन भोगी राज्य कर्मचारियों के लिये अपने प्रतिभावान बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा दिलवाने का खर्च वहन करना कठिन होता है। अतः राज्य राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दृष्टि से राज्य कर्मचारियों के प्रतिभावान बच्चों की ऐसी उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ''कर्मचारी शिक्षा कल्याण निधि'' की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस निधि में राज्य सरकार आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपये का अंशदान देगी।

115. राज्य पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई योजना की यह मान्यता थी कि राज्य कर्मचारियों के वेतन से प्राप्त अंशदान से बने कोष की राशि के ब्याज से यह योजना चलाई जायेगी। कालांतर में चिकित्सा सुविधा के बढ़ते खर्च एवं पेंशनरों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण उपरोक्त कोष में प्राप्त समस्त राशि भी पर्याप्त नहीं हो सकी है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार यथा शक्ति अनुदान देती रही है। आगामी वर्ष इस कोष हेतु 3 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिसे मैं बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

116. राज्य कर्मचारियों को सेवा का परित्याग किए बिना अपना स्वयं का व्यवसाय करने अथवा अन्यत्रा नौकरी करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि राज्य कर्मचारियों को इन कार्यों हेतु 5 वर्ष का अवैतनिक असाधारण अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान किया जाए। इस प्रकार का अवकाश लेने पर कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। यह सुविधा चिकित्सा विभाग के तकनीकी कर्मचारियों व चिकित्सकों, शिक्षकों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के विस्तृत आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

117. राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमों को सीमित करने तथा विवादों के शीघ्र समाधान करने के उद्देश्य से संबंधित सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समझौता समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति कर्मचारी के सेवा संबंधी विवाद तथा विभागीय कार्यकलापों से उत्पन्न विवाद पर सुनवाई कर निर्णय ले सकेगी। यह समिति न्यायालयों में दायर वादों के संबंध में भी विचार कर न्यायालय से बाहर समझौता करने की सिफारिश कर सकेगी।

118. केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने वर्ष 2003–2004 के बजट भाषण में यह जानकारी दी है कि केन्द्र सरकार द्वारा नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बढ़ते पेंशन भार पर आज समूचे देश में बहस चल रही है। समय की आवश्यकता और भविष्य में पेंशन भार को सहनीय बनाने की दृष्टि से नए भर्ती होने वाले राज्य कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष से केन्द्र सरकार के अनुरूप अंशदायी पेंशन योजना लागू की जाएगी।

वर्ष 2002–2003 के संशोधित अनुमान :

119. वर्ष 2002 – 2003 के बजट अनुमानों में कुल बजट घाटा 1 हजार 334 करोड़ 6 लाख रुपये अनुमानित किया गया था। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया है चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि में लगभग 279 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य के अपने कर राजस्व में भी लगभग 546 करोड़ रुपये की कमी आने की संभावना है परन्तु प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के फलस्वरूप राजस्व व्यय में 644 करोड़ रुपयों की कमी संभावित है। पूंजीगत खाते में अधिक राशि प्राप्त कर राजस्व प्राप्तियों की कमी को पूरा किया गया है। चालू वर्ष का सकल घाटा कम होकर 529 करोड़ 89 लाख रुपये रहना संभावित है। वर्ष 2002 – 2003 के संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. राजस्व प्राप्तियां	13 हजार	495	करोड़	74	लाख	रुपये
2. राजस्व व्यय	17 हजार	570	करोड़	56	लाख	रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा	4 हजार	74	करोड़	82	लाख	रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	17 हजार	910	करोड़	68	लाख	रुपये
5. पूंजीगत व्यय	14 हजार	365	करोड़	75	लाख	रुपये
6. पूंजीगत खाते में अधिशेष	3 हजार	544	करोड़	93	लाख	रुपये
7. कुल बजट घाटा		529	करोड़	89	लाख	रुपये

वर्ष 2003–2004 के बजट अनुमान :

120. वर्ष 2003–2004 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. राजस्व प्राप्तियां	15 हजार	425	करोड़	रुपये		
2. राजस्व व्यय	19 हजार	97	करोड़	79	लाख	रुपये
3. राजस्व खाते में घाटा	3 हजार	672	करोड़	79	लाख	रुपये
4. पूंजीगत प्राप्तियां (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	14 हजार	247	करोड़	27	लाख	रुपये
5. पूंजीगत व्यय	11 हजार	400	करोड़	26	लाख	रुपये

6. पूंजीगत खाते में अधिशेष	2 हजार	847	करोड़	1	लाख	रुपये
7. कुल बजट घाटा		825	करोड़	78	लाख	रुपये

भाग–2

माननीय अध्यक्ष महोदय,

121. अब मैं आपकी अनुमति से कर प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

122. अकाल की विभीषिका के बावजूद वर्ष 2002–2003 में, दिसम्बर 2002 तक,राज्य के कर राजस्व संग्रहण में, लगभग 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की नीतियां, कुशल प्रबन्धन एवं विभागों के अधिकारियों की लगन एवं मेहनत के कारण ही यह सम्भव हो सका है।

123. आपको स्मरण होगा कि प्रधान मंत्री महोदय द्वारा 18 अक्टूबर, 2002 को समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सभी राज्यों से 1 अप्रेल, 2003 से वैट प्रणाली लागू करने के लिए आग्रह किया था। सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी इस आग्रह पर सहमति जताई थी।
यह एक हर्ष का विषय है कि सभी राजनैतिक दलों ने राष्ट्रीय हित में आम सहमति बनाकर, समूचे राष्ट्र में एक अप्रेल 2003 से वैट कर प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। तदनुसार राज्य में विक्रय कर के स्थान पर वैट कर प्रणाली प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक को, सदन के द्वारा पारित करने के पश्चात, राजस्थान में भी, अन्य राज्यों के साथ, 1 अप्रेल, 2003 से वैट लागू किया जा रहा है।

124. मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, कि केन्द्र सरकार ने, राज्यों को वैट से सम्भावित राजस्व हानि के पेटे भरपाई करने की घोषणा की है। केन्द्रीय बिक्री कर की दर को भी कम किया जा रहा है एवं अन्त में इसको समाप्त कर दिया जायेगा। वैट कर प्रणाली लागू करने के साथ, केन्द्र सरकार द्वारा, संविधान में संशोधन करके, राज्यों को कुछ सेवाओं पर, कर संग्रहण के अधिकार दिये जा रहे है। इसी तरह कपड़ा, चीनी व तम्बाकू पर, राज्यों को 4 प्रतिशत तक कर लगाने का अधिकार दिया जाना, केन्द्रीय बजट में प्रस्तावित किया गया है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि वैट कानून में, कर की दरें, पूरे देश में एक जैसी होंगी। इन कर दरों के संबंध में अधिसूचना वैट कानून के पारित होने के बाद ही प्रसारित की जायेंगी। अतः मैं कर संबंधी कुछ ऐसे प्रस्ताव रख रहा हूं जिनसे उद्योग एवं व्यापार को तकनीकी कारणों से आ रही कठिनाईयों का निराकरण होगा एवं आम जनता को राहत मिलेगी।

125. करापवंचन रोकने व राज्य के उद्योग एवं व्यापार को संरक्षण देने हेतु, कई वस्तुओं पर विगत वर्षों में प्रवेश कर लगाया गया है। इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है। प्रवेश कर व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत व सरल बनाने के लिये मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ:–

(1) राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये मैं शत–प्रतिशत निर्यात करने वाली औद्योगिक ईकाइयों को, प्रवेश कर से पूर्ण छूट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ।

(2) इसी तरह उद्योगों द्वारा, कच्चे माल पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की छूट, उनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर देय कर में से, सैटऑफ के रूप में देना प्रस्तावित करता हूँ। इससे उनके द्वारा निर्मित उत्पाद, प्रवेश कर के भार से पूर्णतया मुक्त हो जावेंगे।

(3) राज्य में कच्चे माल से भिन्न, अन्य वस्तुओं पर, भुगतान किये गये प्रवेश कर की छूट, उन वस्तुओं की बिक्री पर देय कर में से, सैटऑफ के रूप में देना प्रस्तावित करता हूँ। इससे ये वस्तुऐं प्रवेश कर के भार से मुक्त हो जायेंगी।

(4) स्टेनलेस स्टील उद्योग ने पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख उद्योग का स्थान बना लिया है। इस उद्योग को और प्रोत्साहित करने के लिए, मैं स्टेनलेस स्टील उद्योग के कच्चे माल, इन्गोटस, बिलिटस आदि पर प्रभावी एक प्रतिशत प्रवेश कर को घटाकर आधा प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ।

(5) फोटाग्राफी फिल्म एवं पेपर, मारबल कटिंग मशीन, गैंगसॉ, डाईमण्ड कटर आदि की, राज्य के बाहर से खरीदने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण राज्य को राजस्व से वंचित होना पड़ता है एवं राज्य में व्यापार की हानि भी होती है। इसे नियंत्रित करने की दृष्टि से, मैं इन वस्तुओं पर 8 प्रतिशत प्रवेश कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रवेश कर का, इन वस्तुओं की बिक्री पर देय कर में से, सैटऑफ दिया जायेगा। इस प्रभार से केवल करवंचना की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और कोई अतिरिक्त कर का भार नहीं पड़ेगा।

(6) वर्ष 1987 की बिक्री कर प्रोत्साहन, करमुक्ति तथा डैफरमेन्ट योजनाओं का लाभ लेने वाली औद्योगिक ईकाइयों को, लाभ प्राप्त करने के पश्चात कम से कम आगामी 5 वर्षों तक औसत उत्पादन का स्तर रखना जरूरी है। अन्यथा उनके द्वारा संबंधित योजनान्तर्गत प्राप्त किये गये, सभी लाभ, वापस लिये जाने के प्रावधान है। औद्योगिक मंदी, तकनीकी परिवर्तन, एवं बदलते हुए आर्थिक परिवेश आदि कई वाजिब कारणों से अनेक ईकाइयों द्वारा नियमानुसार औसत उत्पादन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में इनसे, तकनीकी आधार पर, ऐसी राशि जो इन्होंने संग्रह ही नहीं की, या जिसका भुगतान अभी देय ही नहीं हुआ, बिना गुणावगुण पर विचार किये वसूल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अनावश्यक विवाद एवं आर्थिक कठिनाई भी उत्पन्न हो रही है। अतः ऐसे उद्योगों को राहत देने के लिये, मैं वर्ष 1987 की योजना के संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(7) राज्य में अकाल की विषम परिस्थिति को देखते हुए, पशुधन का संरक्षण करना सरकार का अहम दायित्व है। अतः खल तथा डीऑयल्ड केक जो मुख्यतः पशुआहार हैं, पर वर्तमान 4 प्रतिशत बिक्री कर को समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

(8) उद्योग एवं व्यापार में कुछ तकनीकी कारणों से होने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु, मैं पंजीकृत व्यवसाइयों से खरीद कर निर्यात हेतु बेचे गये ग्रेनाईट को, एवं इसी तरह अपंजीकृत व्यवसाइयों से खरीद कर निर्यात हेतु बेचे गये तिलहन को भी भूतलक्षी प्रभाव से क्रय कर से मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।

(9) गत वर्षों में मार्बल पर देय क्रय कर को 3 प्रतिशत से घटाकर 31 मार्च, 2001 तक के लिये 1 प्रतिशत किया गया था, जिससे मकराना के छोटे उद्यमियों के साथ–साथ इस व्यवसाय को काफी राहत मिली है। मैं यह छूट अब 31 मार्च, 2003 तक देना प्रस्तावित कर रहा हूँ । इसी प्रकार से, पंजीकृत डीलर्स द्वारा अपंजीकृत व्यवसाइयों से खरीद कर गुड़ की अर्न्तराज्यीक बिक्री पर, सी.एस.टी. जमा कराने की स्थिति में, ऐसे क्रय व्यवहारों को दिनांक 31 मार्च, 1999 तक कर से मुक्त किया गया था। मैं अब इस करमुक्ति को दिनांक 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। विदेशों से आयातित टैक्सटाईल पर नियमानुसार कस्टम डयूटी तथा राज्य में प्रवेश कर का भुगतान किये जाने के बावजूद, तकनीकी कारणों से इनकी बिक्री पर भी कर का दायित्व कायम किया जा रहा है। इससे व्यवसाय का पड़ौसी राज्यों में पलायन होने लगा है। व्यवसाय के पलायन को रोकने के लिये दिनांक 26 मार्च, 1999 से 31 मार्च, 2003 तक इसे दोहरे कर से मुक्त करना प्रस्तावित कर रहा हूँ, लेकिन इस पर प्रवेश कर यथावत लागू रहेगा।

126. स्वस्थ मनोरंजन समाज के सभी वर्गों की आवश्यकता है। सिनेमा, वर्षों से एक महत्वपूर्ण मनोरंजन का साधन रहा है। विगत वर्षों में नये मनोरंजन के साधन, जैसे दूरदर्शन, केबल टी.वी. का विस्तार आदि के कारण, पुराने सिनेमाघरों को प्रतिस्पर्द्धा में टिकना कठिन हो गया है। कई सिनेमा बन्द हो गये है या बन्द होने के कगार पर है। इसलिए इस लोकप्रिय मनोरंजन के साधन के विकास के लिये मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ–

(1) वर्तमान में प्रदेश में मनोरंजन कर की दर 100 प्रतिशत है। जनहित में, मैं मनोरंजन कर की दर को घटाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ।

(2) सिनेमाघरों पर लागू प्रति शो अतिरिक्त मनोरंजन कर (शो–टैक्स) को समाप्त करने का प्रस्ताव रख रहा हूँ।

(3) मनोरंजन कर के संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिये वर्तमान में लागू कम्पोजिशन स्कीम की जगह एक नई कम्पोजिशन स्कीम 1 अप्रेल, 2003 से लागू की जायेगी ।

(4) सिनेमाघर में दर्शकों को विभिन्न सुविधाऐं प्रदान करने के लिये यूटीलिटी फीस लेने की छूट दी गई है। यूटीलिटी फीस की राशि को एक रूपये प्रति टिकिट से बढ़ाकर 2 रूपये प्रति टिकिट करना प्रस्तावित करता हूँ। बढ़ी हुई यूटीलिटी फीस का लाभ केवल कम्पोजिशन स्कीम अपनाने वाले सिनेमाघर अथवा वातानुकूलित सिनेमाघर ही उठा सकेंगे।

(5) राज्य में निर्माणाधीन तथा नये बनने वाले सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ड्राईव–इन सिनेमा, अथवा पुराने सिनेमा के परिर्वतन, परिवर्धन या नवीनीकरण आदि में, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, एक नई मनोरंजन कर से छूट की प्रोत्साहन योजना को 1 अप्रेल, 2003 से लागू किया जायेगा।

127. राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं देखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने पर्यटन विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है। प्रदेश में पर्यटन के महत्व के अनेक प्राचीन स्मारक है जिनका धनाभाव की वजह से पर्याप्त रख–रखाव नहीं हो पा रहा है। होटलों के महंगे कमरों पर विलासिता कर लिया जा रहा है जिससे गत वर्ष लगभग 10 करोड़ रूपये की राजस्व आय हुई है। मैं विलासिता कर से होने वाली राजस्व आय के बराबर राशि को ऐसे प्राचीन स्मारकों तथा पर्यटन महत्व के स्थलों के संरक्षण, रख–रखाव व पर्यटन के विकास के लिये आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव करता हूँ। आवश्यक प्रावधान संबंधित विभागों के व्यय बजट में कर दिया जायेगा।

128. महोदय आपको विदित है कि उप–पंजीयकों के कार्यालयों में पंजीयन हेतु 40 किस्म के कागजात पेश किये जाते है। इनमें से 30 किस्मों का पंजीयन आधे धण्टे में एवं शेष का 24 धण्टों में पंजीयन करने की व्यवस्था, कुछ पंजीयन कार्यालयों में आरम्भ कर दी गई है। अब यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जा रही है। इससे आम जनता को उप–पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन कराने में सुविधा होगी।

129. प्रदेश में नया किरायेदारी कानून लागू होने जा रहा है। 20 वर्ष से कम अवधि की लीजडीड/किरायेनामों पर देय स्टाम्प शुल्क की वर्तमान दर को घटाकर, आवासीय लीज पर एक वर्ष के औसत किराये की राशि का 1 प्रतिशत, और व्यवसायिक लीज पर एक वर्ष के औसत किराये की राशि का 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। 20 वर्ष या उससे अधिक की लीजडीड पर देय स्टेम्प शुल्क की दर में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

130. राज्य में नियोजन के अवसर, आर्थिक विकास एवं उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिये सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। इस उददेश्य की पूर्ति के लिए, एक नवीन निवेश प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया जायेगा। बजट में आवश्यक प्रावधान करके निवेशकों को पूंजी विनियोजन एवं रोजगार सृजन के आधार पर सहायता दी जायेगी। उद्योग विभाग द्वारा यह योजना एक माह के अन्दर बार्ड ऑफ इन्फरास्ट्रेक्चर डवलेपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट (बीडी) को प्रस्तुत की जायेगी।

131. महोदय आपको विदित है, राज्य के 10 जिलों के नगरीय क्षेत्रों में भूमि एवं भवन कर लागू है। भूमि एवं भवन कर के अतिरिक्त, जनसामान्य को गृहकर, अरबन एसेसमेंन्ट भी जमा कराना पड़ता है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों पर कर का भारी बोझ पड़ रहा है। इस कर के बोझ से राहत देने के लिए मैं दिनांक 1.4.2003 से भूमि एवं भवन कर समाप्त करना प्रस्तावित कर रहा हूँ। पुराने कर दायित्वों के प्रकरणों का निपटारा करने के लिये भी, एक नवीन कम्पोजिशन स्कीम लाई जायेगी, ताकि कर की पुरानी देनदारियों का भी शीघ्र निपटारा हो सके।

132. वर्ष 2003–2004 के बजट अनुमानों में 825 करोड़ 78 लाख रूपये का आपूरित घाटा छोड़ा गया है। इस आपूरित घाटे को बेहतर कर संग्रहण और परिहार्य व्यय पर नियंत्रण से कम करने का प्रयास किया जाएगा।

133. मैं वर्ष 2003–2004 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा–पटल पर रख रहा हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही है। मैं इन बजट प्रस्तावों को माननीय सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

" जयहिन्द "